न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद जिला प्रतापगढ

प्रकरण संख्या 547/2024 रेगुलर फौजदारी

मुकेश बनाम सुंदरलाल

दिनांकः 14.03.2026

परिवादी मुकेश ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर पत्रावली सीगे से तलब कर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। लोकअदालत सदस्य उपस्थित। परिवादी ने अभियुक्त से राजीनामा हो जाने से कार्यवाही नहीं चाहने का प्रार्थनापत्र पेश किया। राजीनामा पृथक से राजीनामा प्रार्थनापत्र की पुश्त पर तस्दीक किया गया। राजीनामा संलग्न पत्रावली रहे। अतः सुन्दरलाल चौधरी पिता रामचन्द चौधरी निवासी अरनोद बस स्टैण्ड के पास तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ को आरोपित अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त का जारी शुदा गिरफतारी वारन्ट अदम तामील मंगवाये जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है, अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

मुकेश
Mukesh

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)